मजदूरी भुगतान अधिनियमए 1936-दंड लगाने के नियम

अधिसूचना संख्या 2175(एसएम)/XXXVI-A-1049(एसएम)-58ए दिनांक 4

सितंबर, 1962†

मजदूरी भुगतान अधिनियमए 1936 (अधिनियम संख्या IV, 1936) की धारा 7 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण II~ के अनुसरण में,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 592(एसएम)èXXXVI-A-1049(एसएम)-38ए दिनांक 19 मार्च, 1959 के अनुसारए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने निम्नलिखित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है जिनका पालन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रेलवेए खान या तेल संयंत्रों को छोड़कर किसी भी कारखाने में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित दंड लगाने के लिए बनाए गए नियमों को करना होगाए अर्थातः

1. ऐसे सभी नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए कि.

(क) निचले पद या समय.मान में पदावनति या समय.मान में निचले स्तर पर पदावनति की सजा केवल जांच के बाद ही लगाई जाएगी, जो कि जहां तक संभव होए इसके बाद बताए गए तरीके से आयोजित की जाएगी।

(i) निश्चित आरोप तैयार किए जाएंगे और संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप में तामील किए जाएंगेए जिसे तामील की तारीख से कम से कम तीन दिनों के भीतरए जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, एक लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा और यह भी बताना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है।

(ii) अपने बचाव की तैयारी के उद्देश्य से, संबंधित व्यक्ति को स्वयं या यदि वह अभिलेखों तक नहीं पहुँच सकता है, तो उस पंजीत ट्रेड यूनियन के किसी अधिकारी की सहायता से, जिसका वह सदस्य है, ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने और उनसे उद्धरण लेने की अनुमति दी जाएगीए जैसा वह निर्दिष्ट करे, बशर्ते कि यदि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे अभिलेख इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, तो ऐसी अनुमति अस्वीकार की जा सकती है;

(iii) जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी जांच की जाएगी;

IndiaCode

(iv) संबंधित व्यक्ति जांच प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है;

(v) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यए जो आवश्यक हों, पर विचार किया जाएगाए प्रासंगिक या सामग्री के रूप में प्रासंगिक साक्ष्य लिए जाएंगे और जिरह की अनुमति दी जाएगी;

(vi) जांच की रिपोर्ट और प्रत्येक आरोप पर कारणों सहित निष्कर्ष तैयार किए जाएंगे;

(vii) जांच रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष दर्ज किए जाएंगे;

(viii) संबंधित व्यक्ति को रिपोर्ट और निष्कर्ष उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ix) संबंधित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करते हुए एक नोटिस दिया जाएगा और उससे प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपनी इच्छानुसार कोई भी अभ्यावेदन निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाएगा; और

(x) उचित आदेश पारित किए जाएंगे और संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(ख) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकने का दंड, लेकिन दक्षता सीमा पर वेतन वृद्धि रोकने के दंड को छोड़कर, संबंधित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई की लिखित सूचना दिए जाने के बाद ही लगाया जाएगा।

उन्हें आरोपों के संबंध में अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है और उन्हें ऐसा करने की इच्छा हो सकती है।

(ग) संबंधित व्यक्ति को उपरोक्त खंड (1) और (2) में उल्लिखित किसी भी दंड को लागू करने वाले किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार दिया जाता है और अपील की सुनवाई और निपटारा उस प्राधिकरण से उच्चतर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जिसने दंड लगाया था।

2. ऐसे सभी नियमों में अनुच्छेद 1 के खंड (1) और (2) में उल्लिखित दंडों में से किसी को भी लागू करने के लिए अधिंत व्यक्ति या व्यक्तियों तथा उस अनुच्छेद के खंड (3) के तहत अपील सुनने और उसका निपटारा करने के लिए अधिंत व्यक्ति या व्यक्तियों का भी उल्लेख किया जाएगा

IndiaCode